




240

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा संभाग रीवा मण्डल
R. 5297 - ए 116



॥ 1 ॥ यशवन्त सिंह उम्र- 52 साल तमय श्री बंशपती सिंह

॥ 2 ॥ रणवन्त सिंह उम्र- 45 साल तमय स्व० बंशपती सिंह,

॥ 3 ॥ अभिमन्त सिंह तमय स्वर्गीय बंशपती सिंह।

तीनों निवासी बरहदी तहसील रायपुर कर्चुलियाम जिलारीवा मण्डल

==== आवेक/मिगरामीकत गिण

काम

॥ 1 ॥ मंगल साफेत उम्र- 52 साल तमय छोटका उर्फ धोखी साफेत

॥ 2 ॥ श्रीमती सिधिया उम्र- 50 सालतति मंगल साफेत

॥ 3 ॥ उमेश कुमार साफेत उम्र- 32 साल तमय मंगल साफेत

सभी निवासी ग्राम बरहदी तहसील रायपुर कर्चुलियाम जिलारीवा मण्डल

==== अनाओरमिगरामीकत गिण

मिगरामी विरुद्ध आदेश अतिक्रमणीय अधिकारी
तहसील रायपुर कर्चुलियाम जिलारीवा मण्डल
प्रकरण क्रमांक 63-70/15-16 आदेश दिनांक

29-6-2016

=====
मिगरामी अन्तर्गत धारा- 50 मण्डल भू० रटो
संहिता 1959 ई०.
=====

मान्यवर,

मिगरामी के आधार निम्नलिखित है :-


1- यहकि बरहदी तहसील रायपुर कर्चुलियाम जिलारीवा मण्डल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5297-II/16

जिला-रीवा

यशवंत सिंह व अन्य/मंगल साकेत

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

